कौशल विकास से सशक्त होती महिलाएं

–डॉ. सीमा

स्किल इंडिया पहल के माध्यम से महिलाओं को गैर–पारंपरिक भूमिकाओं से जोड़ने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाया जा सके। महिलाओं के संदर्भ में इस मिशन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने के साथ ही आरक्षण के माध्यम से कौशल विकास को सुनिश्चित करना है।

मैं एक समुदाय की प्रगति का पैमाना महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति को मानता हूं.....

बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर

आज विश्व प्रगति की राह पर कामयाबी के नित नए मुकाम को छू रहा है, हमने लगातार गरीबी को घटते देखा है, शिक्षा का स्तर बढ़ते देखा है। हालांकि, यह प्रगति असमान है, समाज में आज भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं, और कई मामलों में पहले से ज्यादा विषम हो गई हैं जिसके फलस्वरूप आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर ग्रामीण महिलाएं इस प्रगति से आज भी अपने जीवन को इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान को मुख्यधारा से जोड़ने में रूकावट महसूस करती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने दूसरी सहस्त्राब्दी के आरंभ में समावेशी विकास के नए उद्देश्य से 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एम.डी.जी) 2015' का संकल्प प्रस्तुत किया जिसके प्राप्ति का लक्ष्य 2015 रखा गया था। इन लक्ष्यों के अनुभव तथा बदलती दुनिया की जरूरतों के आधार पर विकास के अधूरे कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से 'सतत विकास लक्ष्य (एस डी जी) : 2030' को सितंबर 2015 के संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन के दौरान 193 सदस्य देशों ने अपनाया तथा 1 जनवरी, 2016 से पूरे विश्व में एक साथ लागू किया। इस घोषणापत्र के 17 लक्ष्य हैं जोकि 169 अलग–अलग क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से चिह्नित करते हुए अगले पंद्रह सालों में लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं।

'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एम.डी.जी) : 2015' का लक्ष्य तीन "लिंग भेद की समानता के साथ ही महिला सशक्तीकरण" को समर्पित था वहीं 'सतत विकास लक्ष्य" में महिलाओं से जुड़े मुद्दे को व्यापक फलक पर देखा गया है। लक्ष्य चार, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और लक्ष्य पांच लैंगिक समानता महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्य चार में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं के लिए भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा की उपलब्धता के साथ ही ऐसी शिक्षा सुविधाओं का विकास और अवनयन करना जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो और सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करें। वहीं लक्ष्य–5 में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी जगह सभी प्रकार के भेदभाव का अंत करना हैं। मानव तस्करी, यौन शोषण और अन्य प्रकार शोषण सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना। बाल विवाह, बलात विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी सभी कुप्रथाओं को समाप्त करना। राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने और जीवन के सभी स्तरों पर नेतृत्व के लिए महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार के साथ ही ज़मीन और अन्य संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, पैतृक और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण पर समान अधिकार देना। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ अन्य तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ नीतियों और प्रवर्तनीय कानून को मजबूत बनाने की बात की गई है।

भारत में महिलाओं की सामान्य व्यथा है, वो एक ही परिवेश में रहती हैं, उसके पास कुछ भी नहीं होता, यहां तक कि उनका खुद पर भी अधिकार नहीं होता। किसी भी आय या संपत्ति के

महिला उद्यमिता कार्यक्रम 'ट्रीड'

व्यापार संबद्ध उद्यमिता विकास सहयोग योजना (ट्रीड) में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का विचार है। प्रशिक्षण, परामर्श, प्रदर्शनियों में भागीदारी, नए एसएचजी की स्थापना जैसी क्षमता निर्माण की गतिविधियों तथा बैंक/संचालन समिति द्वारा मंजूर किए गए अन्य घटकों को चलाने के लिए ऋणदाता संस्थान/बैंक गैर–सरकारी संगठनों को जो भी ऋण देते हैं, उसकी 30 प्रतिशत तक राशि, जो अधिकतम 30 लाख रुपये होगी, भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।

योजना का जोर अधिकतर गैर–कृषि क्षेत्र के स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है। महिलाओं द्वारा की जाने वाली गैर–कृषि गतिविधियों में आमतौर पर सिलाई, हस्तशिल्प, कशीदाकारी, खिलौने बनाना, रेडीमेड परिधान, मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, कागज के कप–प्लेट निर्माण, मसाला पाउडर निर्माण, साड़ी बुनना, चटाई बुनना, अचार निर्माण, टोकरी एवं झाड़ू निर्माण, जूट के थैले बनाना आदि शामिल हैं।

अधिकार से निहित, हाशिए पर खड़े दलित और जनजाति समुदाय से ज्यादा पीड़ित और मजबूर दिखती हैं। महिलाएं समाज के हर स्तर पर शोषित और पीड़ित हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (2017) के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मेरी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह भारत की प्रगति की हमारी परिकल्पना तथा हमारे सभी नागरिकों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन एवं अवसर के केंद्र में है।' उन्होंने इस परिकल्पना को हकीकत में बदलने की सरकार की प्रतिद्धता को दोहराया। भारत की 71.2 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जहां महिलाओं की समस्याएं और जटिल हैं। शिक्षा या विशिष्ट कौशल रोजगार के अवसर के अभाव में अधिकतर ग्रामीण महिलाएं घरेलू कार्य में कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कार्य में कार्यरत महिलाओं का अनुपात एन.एस.एस.ओ के 61 वें दौर में (2004–05) 35.3 प्रतिशत से बढ़कर 66 वें दौर (2009–10) में 40.1 प्रतिशत हुआ जोकि आगे पुनः 68 वें दौर (2011–12) के दौरान बढ़कर 42.2 प्रतिशत रहा।

सतत विकास लक्ष्यों के ध्यान में रखते हुए भारत के नीति निर्माताओं ने महिलाओं के उत्थान को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत नीतिगत पहल की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य शारीरिक श्रम आधारित कार्यों को कौशल–आधारित बनाना हैं। प्रस्तुत आलेख के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु, सरकार द्वारा चलाई जा रही स्किल इंडिया योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया तथा दीनदयाल अंत्योदय–राष्ट्रीय ग्रामीण जीवोकोपार्जन मिशन देखने का व्यापक प्रयास किया गया है।

स्किल इंडिया

राष्ट्रीय–स्तर पर भारत में दसवीं की पढाई अधूरी छोड़ने वालों का अनुपात 17.86 प्रतिशत है। महिलाओं के संदर्भ में यह अनुपात 17.79 प्रतिशत है, अधूरी शिक्षा का मुख्य कारण, महिलाओं की कम उम्र में शादी, शिक्षा संस्थान का घर से दूर होना तथा गरीबी हैं। जनसंख्या के इस बड़े हिस्से को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही जीवन–स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने **स्किल इंडिया मिशन** की शुरुआत वर्ष 2015 में की जिसके माध्यम से युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं को गैर–पारंपरिक भूमिकाओं से जोड़ने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाया जा सके। महिलाओं के संदर्भ में इस मिशन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने के साथ ही आरक्षण के माध्यम से कौशल विकास को सुनिश्चित करना है।

लिंग–भेद के अंतर को पाटने के लिए, इस नीति के तहत विशेष वितरण तंत्र की आवश्यकता को चिह्नित किया गया हैं,जैसे मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयां, स्थानीय आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के साथ ही घरेलू महिलाओं के लिए दोपहर में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य 'वित्तरहित को वित्तपोषित' कराना है जिसके तहत प्रशिक्षित उद्यमियों को ऋण प्रदान कर उद्यमिता को सुदृढ़ करना है।

इस योजना के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **'महिला उद्यम निधि'** नामक एक विशेष कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है जिसके तहत सभी तीन श्रेणियों यानी 'शिशु' 'किशोर' एवं 'तरुण' के अंतर्गत ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। मुद्रा की वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 के अनुसार 2015–16 के दौरान पीएमएमवाई के तहत समर्थित कुल 3.49 करोड़ उद्यमों में से 36 प्रतिशत (1.25 करोड़ खाते) नए उद्यमियों के हैं, कुल योग में महिलाओं का अनुपात 79 प्रतिशत (2.76 करोड़) जिसे (चित्र 1 और 2) के जरिए दर्शाया गया है।

स्टैंडअप इंडिया

खंडित समाज में स्त्री श्रम, समानता और सौंदर्य का सहज प्राकृतिक मिश्रण है। सरकार की स्टैंडअप इंडिया ने इसे सम्बल प्रदान किया हैं। स्टैंडअप इंडिया पहल का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना एवं उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना है। इस योजना के तहत समाज के हाशिए पर खड़े अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ ही महिलाओं के लिए उद्यमिता के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने की योजना है। इस पहल में इन श्रेणियों के कम–से–कम दो इच्छुक उद्यमियों को ऋण मुहैया कराने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। बकौल प्रधानमंत्री यह योजना नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वालों में तब्दील करेगी। स्टैंडअप इंडिया की पहल से महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

चित्र–1, विभिन्न संस्थानों द्वारा नए उद्यमियों को ऋण प्रदत खातों की संख्या

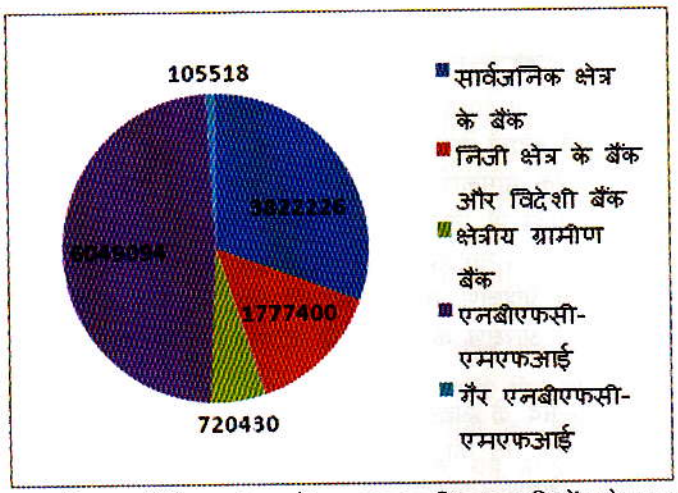

चित्र–2 विभिन्न संस्थानों द्वारा नए महिला उद्यमियों को ऋण प्रदत खातों की संख्या

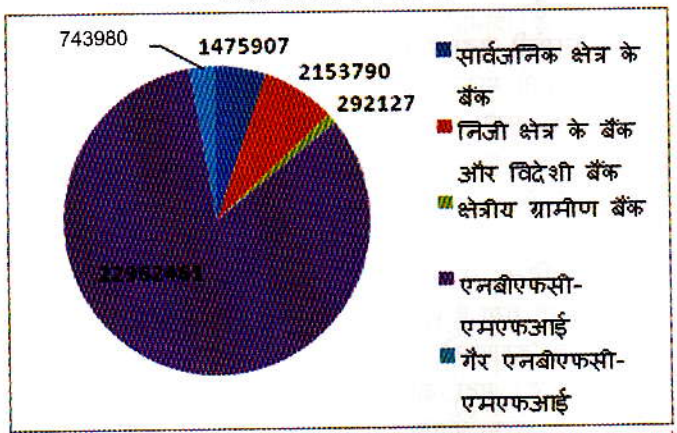

स्रोत : मुद्रा वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 (http://www-mudra-org-in/)

'स्टैंडअप इंडिया' योजना अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान करना हैं। इस योजना के तहत हर बैंक शाखा को औसतन एक ऋण प्रत्येक वर्ग के लाभार्थियों को (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला), को सुनिश्चित करना है। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए यह अनिवार्य है कि ऐसे उद्यम में अनु.जाति/जनजाति या महिला उद्यमियों की आयोजित शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी का 51 प्रतिशत होना अपरिहार्य है। इस योजना को सुदृढ़ करने के तहत 1.25 लाख बैंक शाखाओं को जोड़ा गया हैं। साथ ही स्टैंडअप इंडिया के पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की सहायता के 17,000 से अधिक सहायता केंद्रों की उपलब्धता की गई हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को सुनिश्चित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है जिसका लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) के द्वारा वितरण का प्रावधान किया हैं।

वर्तमान में राष्ट्रीय–स्तर पर इस योजना के तहत भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्देशित **महिला कॉयर योजना** को सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिला सशक्तीकरण की राह में यह अनूठा कार्यक्रम है जिसके तहत कॉयर बोर्ड तटीय प्रदेशों की ग्रामीण महिलाओं में कौशल शिक्षा प्रदान करता है जिससे वो खुद को और अपने परिवार को गरीबी से निकालने में सहायक हो सकें।

दीनदयाल अन्त्योदय–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन

अपनी पुस्तक 'स्केप फ्रॉम फ्रीडम' में मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने महिलाओं में 'स्वतंत्रता से भय' की अवधारणा की बात की है। दर्शन की दुनिया में इसे ही 'यथास्थितिवाद' कहा गया है। जहां आप जिस परिस्थिति में हैं, उसी में ही आदतन ढल जाते हैं और उसे बदलने के नाममात्र से डर जाते हैं भले ही वह बुरी परिस्थितियां क्यूं न हों। ऐसी ही समस्याओं को दूर करने के लिए **दीनदयाल अंत्योदय– राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन** का गठन किया गया है। इस योजना के तहत 'स्वयंसहायता समूह' के जरिए महिलाओं को इकट्ठा कर एक समूह का रूप दिया गया है, जहां वह अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़े मुद्दों को संगठित स्वर देती हैं। यह समूह 'गरीबों के लिए गरीबों का' की तर्ज पर कार्य करता है। संभवतः महिलाओं से संबंधित गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य में यह विश्व की सबसे बड़ी पहल है, जिसका लक्ष्य लगभग 70 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

इस परियोजना के वित्त की जिम्मेदारी भारत सरकार तथा विश्व बैंक के सामूहिक योगदान से पूर्ण की जाती है। विश्व बैंक की 8 अगस्त, 2017 को जारी रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना ने अपने लक्ष्य सामाजिक लामबंदी, संस्था निर्माण और सामुदायिक बचत को प्राप्त कर लिया हैं। फिलहाल, इस परियोजना में भाग लेने वाले 13 राज्यों के 161 जिलों के 571 ब्लॉकों में लागू किया गया है। यह कार्यक्रम 7.5 लाख से अधिक परिवारों को 6.5 लाख एसएचजी में संगठित करके चलाया जा रहा है। इन एसएचजी को 41000 ग्राम संगठनों (वीओ) में संगठित किया गया है जिनमें से 4.08 लाख एसएचजी इन ग्राम संगठनों के (वीओ) नेटवर्क का हिस्सा हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयू–जीकेवाई)

डीडीयू–जीकेवाई परियोजना के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को उच्च गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत 25,696 रुपये प्रति व्यक्ति से एक लाख रुपये तक के प्लेसमेंट से जुड़े स्किलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए धन मुहैया कराया जाता हैं। इस पहल के माध्यम से महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना में कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। स्थांतरण सहायता केंद्र की स्थापना कर विस्थापित महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखा जाता हैं।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : seema.chaudharys@gmail.com